न्यायालय

पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल, मध्यप्रदेश

(नया पुलिस कंट्रोल रूम, चतुर्थ तल, जहांगीराबाद- भोपाल- 462008)

क्र.-पु.आयु./पु०उपा०/आसू०सुरक्षा/भो०/ आ० 04 /26 दिनांक- 09 /02/2026

//आदेश//

(अंतर्गत धारा- 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

संचालक सुरक्षा म० प्र० विधान सभा का पत्र क्र०/22508/वि०स०/सुरक्षा/2025 भोपाल-462004, दिनांक 06/11/2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि **मध्यप्रदेश की षोडश (16वीं) विधानसभा का नवम् सत्र, सोमवार दिनांक 16 फरवरी, 2026 से दिनांक 06 मार्च 2026 तक के लिए आहुत किया गया है**। उक्त अवधि के दौरान विधानसभा भवन के आस-पास विभिन्न संगठनों एवं राजनैतिक दलों द्वारा प्रदर्शन एवं जुलूस आयोजित किये जाने की संभावन बनी रहती है लोकशांति, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होकर विधानसभा सत्र काल की कार्यवाही के दौरान गतिरोध उत्पन्न हो सकता है।

1/- अतएव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं संजय कुमार, पुलिस आयुक्त, भोपाल आदेश देता हूँ कि नीचे कंडिका दो में उल्लेखित क्षेत्रों में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। इस प्रकार एकत्रित भीड़ गैर कानूनी भीड़ समझी जावेगी। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में :-

1.1/ कोई व्यक्ति किसी जुलूस/प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा और न ही कोई सभा आयोजित करेगा।

1.2/ कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डण्डा, भाला, पत्थर, चाकू, अन्य धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र साथ लेकर नहीं चलेगा।

1.3/ सत्रावधि के दौरान विधानसभा परिसर के 5.00 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे- ट्रक, ट्रेक्टर-ट्राली, डम्फर एवं धीमी गति से चल यातायात बाधित करने वाले तांगा, बैल-गाड़ी इत्यादि के आवागमन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

1.4/ कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसके फलस्वरूप शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान, उद्योग एवं निजी अथवा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो।

1.5/ यह आदेश ड्यूटी पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

2/- यह आदेश दिनांक 16 फरवरी 2026 से 06 मार्च 2026 तक प्रात: काल 06:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक अथवा विधानसभा सत्र का सत्रावसान/स्थगित होने तक, जो पहले हो निम्नलिखित मार्ग/क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा :-

2.1/ लिली टॉकीज से 7th बटालियन के सामने वाला मार्ग, एम.व्ही.एम. कॉलेज, एयरटेल तिराह से रोशनपुरा पहुंचने वाला मार्ग।

2.2/ बाणगंगा चौराहा से जनसंपर्क कार्यालय से लोअर लेक मार्ग से राजभवन से ओल्ड विधानसभा चौराहा की ओर जाने वाला मार्ग।

2.3/ जिंसी चौराहा से पुराना सी.आई.डी./रेल अधीक्षक कार्यालय से शब्बन चौराहा होते हुए पुरानी जेल की ओर जाने वाला मार्ग।

2.4/ स्लाटर हाउस रोड, मैदामिल से बोर्ड ऑफिस चौराहा।

2.5/ झरनेश्वर मंदिर चौराहे से ठण्डी सड़क, ठण्डी सड़क से 74 बंगले के सबसे ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा।

2.6/ पॉलिटेकनिक रोड/दूरदर्शन रोड/ भारत भवन रोड से माननीय मुख्यमंत्री निवास तक।

2.7/ नवीन विधानसभा क्षेत्र से राजभवन क्षेत्र, मुख्यमंत्री निवास क्षेत्र, रोशनपुरा चौराहा से पत्रकार भवन एवं राजभवन की ओर जाने वाले समस्त मार्ग, विधायक विश्राम गृह के सामने वाला रोड, मैंदा मिल सड़क के ऊपर का समस्त क्षेत्र, बोर्ड ऑफिस चौराहा, 74 बंगला, ओमनगर, वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र, पत्रकार भवन, नवीन विधानसभा की ओर पहुंचने वाली सड़क, सतपुडा भवन,

विन्ध्यांचल भवन, वल्लभ भवन एवं अरेरा एक्सचेंज का क्षेत्र, नीलम पार्क थाना जहांगीराबाद, शाहजहाँनीपार्क थाना तलैया, अंबेडकर पार्क थाना टी०टी० नगर, चिनार पार्क थाना एम० पी० नगर।

3/- इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्रों में आम सभा, पुतला दहन, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, रैली नहीं करेगा।

4/- यह आदेश विवाह समारोह, बारात तथा शवयात्रा पर प्रभावशील नहीं रहेगा।

5/- इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्ड के भागी होंगे।

6/- यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में जन-साधारण को इसकी सूचना समयाभाव के कारण देना संभव नहीं है।

अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा।

आज दिनांक 09 /02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया।

(संजय कुमार भा.पु.से.)
पुलिस आयुक्त
नगरीय पुलिस भोपाल

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
3. कलेक्टर जिला भोपाल।
4. आयुक्त, जनसंपर्क भोपाल।
5. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा/ अपराध एवं मुख्यालय नगरीय पुलिस भोपाल।
6. आयुक्त, नगर निगम भोपाल।
7. समस्त पुलिस उपायुक्त/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल।
8. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल।
9. उप संचालक, संभागीय जनसंपर्क भोपाल।
10. समस्त थाना प्रभारी नगरीय पुलिस भोपाल।
11. प्रभारी भोपाल आई पुलिस वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. प्रभारी अधिकारी, नवीन पुलिस नियंत्रण कक्ष जहांगीराबाद भोपाल।

न्यायालय पुलिस आयुक्त भोपाल (म.प्र.)

पुलिस आयुक्त 9/2
नगरीय पुलिस भोपाल